

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु.

जयपुर, दिनांक:-

विज्ञप्ति


माननीय राजस्थान न्यायालय के निर्णय रिट पीटिशन नं. क्रमशः 17405/2017 दिनांक 07.11.2017, 19637/2017 दिनांक 09.11.2017, 17043/2017 दिनांक 09.10.2017, 16448/2017 दिनांक 22.09.2017, 12084/2017 दिनांक 09.10.2017, 12115/2017 दिनांक 09.10.2017, 16437/2017 दिनांक 22.09.2017, 19121/2017 दिनांक 03.11.2017, 20001/2017 दिनांक 14.11.2017 एवं की अनुपालना में निम्नलिखित अधिसूचित मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों को निस्तारण किया जाना है, अन्य पात्र वाहन स्वामियों से भी इस विज्ञप्ति के जारी करने की तिथि से दिनांक 29.11.2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम संख्या	एकल मार्ग संख्या	रिट पीटिशन संख्या	मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	एकल फेरों की संख्या
1	230	17405/2017 दिनांक 07.11.2017	नीम का थाना-खेतडी	3	74
2	345	19637/2017 दिनांक 09.11.2017	सी.सी. हेड- पक्का सरना	1	5
3	373 420	17043/2017 दिनांक 09.10.2017 16448/2017 दिनांक 22.09.2017	अलवर-जयपुर वाया दौसा अलवर -महावीरजी	25 15	50 30
4	281 287	12084/2017 दिनांक 09.10.2017	भीलवाडा-चित्तौडगढ चित्तौडगढ-मंगलवाड	13 2	71 6
5	307 282	12115/2017 दिनांक 09.10.2017	चित्तौडगढ-वल्लभनगर चित्तौडगढ-उदयपुर	11 1	48 5
6	430	16437/2017 दिनांक 22.09.2017	चित्तौडगढ-छोटीसादडी	6	40
7	159	19121/2017 दिनांक 03.11.2017	नागोर-नोखा	2	13

Handwritten signature/initials


8	84	20001 / 2017 दिनांक 14.11.2017	उदयपुर-झुंजरपुर	14	14
9	460	20125 / 2017 दिनांक 16.11.2017	झुंझुनू-फतेहपुर	4	34

आवेदन संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष, कार्यालय समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित एवं अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू होंगी। शर्तों का अवलोकन विभागीय वेब साईट transport.rajasthan.gov.in पर RPTS Tab किया जा सकता है।


(आर.सी. यादव)
सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. /197
प्रतिलिपि :-

1. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बावत।
2. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बावत।
3. मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।


सचिव
राज्य परिवहन प्राधिकार